कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418 E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 786 रतलाम, दिनांक : 12-03-2020

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
जिला, रतलाम

विषय :- जिला रतलाम के अंतर्गत माण्डलिया घाटा तालाब परियोजना निर्माण हेतु 14.22 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. /एफ-3/85/ 2018/10-11/16/3200 दिनांक 07-10-2019
(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. /एफ-3/85/ 2018/10-11/16/796 दिनांक 27-02-2020
(3) आपका पत्र क्र./479-480/कार्य/वनभूमि/2019 दिनांक 17-02-2020

-xxx-

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जो सीधे आपको संबोधित है जिससे प्रकरण माण्डलिया घाटा तालाब परियोजना में संदर्भित पत्र (2) से पुनः आपत्ति दो बिन्दूओं पर ली गई है, जो संदर्भित पत्र (3) से आपके द्वारा सही जानकारी प्रस्तुत नही की गई है। इस प्रकार है :-

01 न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने हेतु परिक्षणात्मक टीप में प्रथम लाईन में 15.00 बताया है, जबकि प्रस्ताव 14.22 हे. प्रभावित वनभूमि के संबंध में न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने हेतु परिक्षणात्मक टीप तैयार कर 02 प्रतियों में प्रेषित करें।

02 बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी भी सही नही दी गयी है। इसमें डी.एस.एस. परीक्षण में गैर वनभूमि में वनभूमि प्रदर्शित होने के संबंध में जानकारी दी जाना है। अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार पुनः प्रभावित वनभूमि 14.22 हे. की के.एम.एल. फाईल सी.डी. में एवं जियों रिफरेन्स मेप कॉर्डिनेट सहित तैयार कर 02 प्रतियों में प्रेषित करें।

उपरोक्त बिन्दूओं अनुसार जानकारी सुधार कर 2 प्रतियॉ वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :-संदर्भित पत्र(2)

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–3/85/2018/10–11/16/796 भोपाल, दिनांक 27-02-2020

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग रतलाम,
मध्यप्रदेश।

विषयः–जिला रतलाम के अंतर्गत माण्डलिया घाट तालाब परियोजना निर्माण हेतु 14.22 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एफ–3/85/2018/10–11/16/3200, दिनाक 07.10.2019

2. आपका पत्र क्रमांक 479/कार्य/वनभूमि/2019, दिनांक 17.02.2020

––0––

विषयांतर्गत में लेख है, कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 से प्रस्तुत की गयी जानकारी सही नही है। जिसे निम्नानुसार पुनः प्रेषित करें :–

1. न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने हेतु परिक्षणात्मक टीप मे प्रथम लाईन मे 15.00 हे0 बताया है। जबकि प्रस्ताव 14.22 हे0 वनभूमि व्यपवर्तन का है। तुलनात्मक टेबल मे डूबक्षेत्र 14.61 हे0 बताया है। इस प्रकार उक्त न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने हेतु परिक्षणात्मक टीप त्रुटिपूर्ण है। पुनः 14.22 हे0 प्रभावित वनभूमि के संबंध मे न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने हेतु परिक्षणात्मक टीप तैयार कर 02 प्रतियों मे प्रेषित करें।

2. बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी भी सही नही दी गयी है। इसमे डी.एस.एस. परीक्षण मे गैर वनभूमि मे वनभूमि प्रदर्शित होने के संबंध मे जानकारी दी जाना है। अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार पुनः गैर वनभूमि 14.22 हे0 की के.एम.एल. फाईल सी.डी. मे एवं जियो रिफरेन्स मेप कॉर्डिनेट सहित तैयार कर 02 प्रतियों मे प्रेषित करें।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–3/85/2018/10–11/16/797 भोपाल, दिनांक 27-02-2020

प्रतिलिपिः– वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमंडल रतलाम, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

स्थापना/व्यय/स्टेनो/मा.चि./राजस्व
निरीक्षण/तेन्दुपत्ता/भु.लि.

25/2/2021

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3(Part-I).docx